न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 173/2014

अनवान :

1. बिरमती पत्नी श्री कृष्णकुमार पुत्री श्री हरदेवाराम जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा हाल देवगढ़ त0 तारानगर।

:— वादीया

बनाम

1. हरदेवाराम पुत्र रामकरण जाति जाट सहारण निवासी अलायला।
2. सुभाष पुत्र हरदेवाराम जाति जाट सहारण निवासी अलायला।
3. रोहताश पुत्र हरदेवाराम जाति जाट सहारण निवासी अलायला।
4. शकुन्तला पुत्री हरदेवाराम जाति जाट सहारण निवासी अलायला।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिए शाखा प्रबन्धक ।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88-188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री किशन गर्ग : **वादीया**
वकील श्री दलवीर बैनीवाल : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** २२.०५.२१

कलक्टर भादरा

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं 179/165 के खसरा नं0 161 की 4.0780 हैक्टर, खसरा नं0 176 की 1.4510 हैक्टर, खसरा नं0 302/1 की 3.2750 हैक्टर कुल 8.8040 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 हरदेवाराम के नाम दर्ज है।

वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की मुश्तर्का जददी जायदाद है जिसे पक्षकारान दावा संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। वादभूमि में प्रतिवादी हरदेवाराम के साथ वादीया, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है एवं वादीया व प्रतिवादी सं0 2 से 4 का जन्म से उक्त भूमि में प्रतिवादी हरदेवाराम के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इसलिए वादीया ने प्रतिवादीगण को उसके हिस्से की वाद भूमि वादीया के नाम दर्ज करवाने व वाद भूमि को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 4 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में बीरमति पत्नि कृष्ण पुत्री हरदेवाराम जाति जाट निवासी अलायला के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही अलायला के खाता संख्या 179/165 सम्वत 2069–72 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही अलायला जमाबंदी खतौनी खाता संख्या 71 सम्वत 2041 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीया की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। अतः मुताबिक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीया ने रोही अलायला के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही अलायला के खाता संख्या 179/165 सम्वत 2069–72 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही अलायला खाता संख्या 71 सम्वत 2041 प्रदर्श 2 करवाये। जिसमें प्रदर्श 1 व 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है। वाद भूमि रोही मौजा अलायला के खाता सं 179/165 के खसरा नं0 161 की 4.0780हैक्टर, खसरा नं0 176 की 1.4510 हैक्टर, खसरा नं0 302/1 की 3.2750 हैक्टर कुल 8.8040 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 हरदेवाराम के नाम दर्ज में से वादीया व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं 179/165 के खसरा नं0 161 की 4.0780 हैक्टर, खसरा नं0 176 की 1.4510 हैक्टर, खसरा नं0 302/1 की 3.2750 हैक्टर कुल 8.8040 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 हरदेवाराम के नाम दर्ज में से वादीया बिरमति, प्रतिवादी सं0 1 हरदेवाराम, प्रतिवादी संख्या 2 सुभाष, प्रतिवादी संख्या 3 रोहताश व प्रतिवादी संख्या 4 शकुन्तला को बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 173/2014

अनवान :

1. बिरमती पत्नी श्री कृष्णकुमार पुत्री श्री हरदेवाराम जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा हाल देवगढ़ त0 तारानगर।

:— वादीया

बनाम

1. हरदेवाराम पुत्र रामकरण जाति जाट सहारण निवासी अलायला।
2. सुभाष पुत्र हरदेवाराम जाति जाट सहारण निवासी अलायला।
3. रोहताश पुत्र हरदेवाराम जाति जाट सहारण निवासी अलायला।
4. शकुन्तला पुत्री हरदेवाराम जाति जाट सहारण निवासी अलायला।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिए शाखा प्रबन्धक ।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण गर्ग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री दलबीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं 179/165 के खसरा नं0 161 की 4.0780 हैक्टर, खसरा नं0 176 की 1.4510 हैक्टर, खसरा नं0 302/1 की 3.2750 हैक्टर कुल 8.8040 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 हरदेवाराम के नाम दर्ज में से वादीया बिरमति, प्रतिवादी सं0 1 हरदेवाराम, प्रतिवादी संख्या 2 सुभाष, प्रतिवादी संख्या 3 रोहताश व प्रतिवादी संख्या 4 शकुन्तला को बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.05.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner